दिनांक 13.02.2014 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समाज कल्याण से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थिति पंजी में संधारित है।

कार्यवाही

02– सर्वप्रथम उपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका से परिचय प्राप्त किया गया। तदुपरान्त इस जिला अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेविका/सहायिका की रिक्ति से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा रिक्ति की स्थिति निम्नवत बताया गया :–

क0	परियोजना का नाम	रिक्ति	
		सेविका	सहायिका
1	चतरा ग्रामीण	00	00
2	सिमरिया	03	00
3	टण्डवा	00	01
4	ईटखोरी	00	01
5	हण्टरगंज	01	00
6	प्रतापपुर	02	01
	कुल–	**06**	**03**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि 10 दिनो के अन्दर किसी भी परिस्थिति में रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविका/सहायिका का चयन आम सभा के माध्यम से करना सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि आम–सभा की तिथि के एक सप्ताह के पूर्व से ही इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय तथा इसकी सूचना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। आम सभा की सूचना संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ–साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवश्य दिया जाना चाहिए।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

03– निरीक्षण/पर्यवेक्षण :– समीक्षा के कम में महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों

के किये गए निरीक्षण की स्थिति निम्नवत् बताया गया :–

क्र0	परियोजना	महिला पर्यवेक्षिका का नाम	निरीक्षित केन्द्रों की संख्या	अभ्युक्ति
1	हण्टरगंज	श्रीमती अमोला झा		अनुपस्थित
		श्रीमती चन्द्रावती नायक	23	
2	प्रतापपुर	श्रीमती बेर्नादित तिर्की	17	
		सुश्री बाबरा रेभन	15	
3	सिमरिया	श्रीमती कुमकुम सिन्हा	10	
		श्रीमती रीता कुमारी	18	
4	टण्डवा	श्रीमती शीला प्रसाद		अनुपस्थित
		श्रीमती मनोरमा दास		अनुपस्थित
5	ईटखोरी	श्रीमती सुप्रिया जॉन	25	
		श्रीमती उषा कुमारी	26	
6	चतरा ग्रामीण	श्रीमती लक्ष्मी देवी	24	
		श्रीमती ज्योतिका टोप्पो	25	

निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि केन्द्रों के निरीक्षण आंगनबाड़ी केन्द्र स्थल पर नही जाकर टेबल पर बैठकर ही तैयार किया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न फोटोग्राफ के अवलोकन से यह स्पष्ट नही होता है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र –सह– प्री–नर्सरी विद्यालय अंकित है।

सभी को बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए निदेश के रूप में 28 Points होगें। उन 28 Points को प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों में लागु किया जाना आवश्यक होगा। इसी के आधार पर सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण किये जाऐगें।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को दिये जानेवाले पोषाहार से संबंधित Menu प्रत्येक दिन के अनुसार एवं सेविका तथा सहायिका का नाम सूचना पटट् अथवा दीवार में अवश्य अंकित होना चाहिए।

निदेश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ फोटोग्राफ संलग्न रहना चाहिए।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

04– मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :– कार्यालय द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 320 के विरूद्ध वर्तमान समय तक मात्र 103 लाभुकों को ही स्वीकृति

प्रदान की गई है जो चिन्ताजनक है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा द्वारा बताया गया कि विभिन्न परियोजनाओं से आवेदन प्राप्त हुए थे परन्तु त्रुटिपूर्ण होने के कारण संबंधित परियोजना को त्रुटि निराकरण हेतु आवेदन वापस किये जा चुके हैं।

निदेश दिया गया कि त्रुटि निराकरण के पश्चात दिनांक 25.02.2014 तक लक्ष्य के अनुरूप आवेदन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

05– मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना :– समीक्षा के कम में स्पष्ट हुआ कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में वर्तमान समय तक मात्र 116 लाभुको को ही स्वीकृति इस योजना के तहत प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त जिला समाज कल्याण कार्यालय में स्वीकृति हेतु 569 आवेदन लंबित हैं।

निदेश दिया गया कि स्वीकृति हेतु लंबित आवेदनों का निस्तार पन्द्रह दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी बाल विकास परियेाजना पदाधिकारियें को निदेशित किया गया कि इस योजना के तहत अधिक से अधिक सुयोग्य लाभुको के आवेदन सृजित कर स्वीकृति हेतु जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चतरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

06– स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना :– समीक्षा के कम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चतरा ग्रामीण द्वारा बताया गया कि लगभग तीन माह से इस योजना के तहत लाभुको की स्वीकृति से संबंधित बैठक नही हुआ है।

निदेश दिया गया कि प्रत्येक परियोजना में स्वीकृति हेतु उपलब्ध आवेदनो के अतिरिक्त और भी आवेदन सृजित कर अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के साथ दिनांक 20.02.2014 को बैठक करना सुनिश्चित करें। **(अनुपालन– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)**

07– पोषाहार :– समीक्षा के कम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा द्वारा बताया गया कि आवंटन की उपलब्धता के आलोक में चतरा ग्रामीण, सिमरिया एवं प्रतापपुर में माह दिसम्बर 2013 तक तथा टण्डवा, ईटखोरी एवं हण्टरगंज परियोजना में माह नवम्बर 2013 तक के पोषाहार की राशि उपलब्ध करायी गई है।

निदेश दिया गया कि आवंटन हेतु विभाग से अविलम्ब पत्राचार किया जाय ताकि पोषाहार बाधित नही हो। **(अनुपालन– जिला समाज कल्याण पदाधिकारी)**

08– विकलांग छात्रवृति :– इस योजना के तहत प्राप्त आवंटन में से वर्तमान समय तक मात्र 11500/–रूपये का ही वितरण किया गया है। इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि विद्यालय एवं महाविद्यालय से विकलांग छात्रों की सूची हेतु पत्राचार किया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक/ जिला

शिक्षा पदाधिकारी, चतरा से पत्राचार किया जाय। किसी भी परिस्थिति में आवंटन व्ययगत नही होना चाहिए ।

09– भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण :– प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में भी इस जिला में 145 भवनहीन आंगनबाड़ी केन्दों के लिए भूमि उपलब्ध नही हैं।

निदेश दिया गया कि उन भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भूमि का चयन एक माह के अन्दर करना सुनिश्चित करें। **(अनुपालन– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)**

10– आधार कार्ड :– समीक्षा के कम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि सेविकाओं एवं सहायिकाओं का शतप्रतिशत आधार कार्ड तैयार नही है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा द्वारा बताया गया कि आधार कार्ड अनिवार्य है। भविष्य में बिना आधार कार्ड के मानदेय आदि का भुगतान संभव नही हो पाएगा।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में आधार कार्ड बनाया जा रहा है अतएव सभी सेविका/सहायिका को व्यक्तिगत रूचि लेकर अपना आधार कार्ड बनवाना होगा। **(अनुपालन– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)**

11– कुपोषण :– समीक्षा के कम में बताया गया कि इस जिले में दो कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC) यथा चतरा एवं हण्टरगंज में अवस्थित हैं। चतरा स्थित MTC 15 बेड का एवं हण्टरगंज स्थित MTC 5 बेड का है। MTC में कुपोषित बच्चों की उपस्थिति अच्छी नही है।

निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर MTC में कुपोषित बच्चों की उपलब्धता में अपेक्षित सुधार लाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका)

12– अन्यान्य :– अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया कि चतरा, टण्डवा, इटखोरी एवं हण्टरगंज में विकलांग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी सूचना संबंधित बाल विकास परियेाजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं जनप्रतिनिधियों को दी जाएगी। उस क्षेत्र के जितने भी विकलांग होगे वे उक्त शिविर में भाग लेगे। शिविर में Medical Board का अलग counter होगा जिसमें सभी विशेषज्ञ चिकित्सक एवं असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थित रहेगें। विकलांगों के विकलांगता की जांच कर शिविर में ही प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपलब्ध विकलांग उपकरणों का भी वितरण शिविर में किया जाएगा। शिविर के आयोजन हेतु सिविल सर्जन, चतरा से कार्यकम निर्धारित करने के निमित पत्र दिया जाय।

बैठक में अनुपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं से

स्पष्टीकरण का निदेश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा को दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/-
उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक 73 /स0क0 दिनांक 16.02.2016

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग; झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं जिला के Website पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Amit Kumar 13.2.16
उपायुक्त,
चतरा।